कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4636 / नातौ / अ–1 / एफ–90 / 2004, भोपाल दिनांक 15.9.2004

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– उपभोक्ताओं के लिये गहन निरीक्षण बावत्।
संदर्भः– कार्यालयीन ज्ञा.क्रं. 4864 / नातौ / अ–1 / एफ–90 / 2004 दिनांक 12.9.03

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करे, जिससे आपको निर्देश दिये गये है पी.सी.आर. के अन्तर्गत वस्तुएं जैसे साफ्ट ड्रिंक वाटल वाटर, आदि, खाद्य वस्तुए जैसे दाल, चावल, गेंहू, आटा,चाय,काफी,घी,तेल आदि के पैकेज में घोषित मात्रा से कम मात्रा में वस्तुए पैक की जा रही है, जिसकी जांच आप एक अभियान चलाकर वर्णित संस्थाओं पर जाकर जांच करे, एवं इस जांच अभियान में स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठनों को भी साथ रखें।

उपरोक्त निर्देश जारी होने के पश्चात् भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। तथा पालन प्रतिवेदन दो सप्ताह में भेजें।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं.4637 / नातौ / अ–1 / एफ–90 / 2004 भोपाल, दिनांक 15.9.2004

प्रतिलिपि :–

समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. की ओर से दिये गये निर्देश का कड़ाई से पालन करवाने हेतु।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल